न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 73/2015/दावा

रामसिंह पुत्र मदन सिंह उम्र 59 साल जाति राजपूत निवासी ग्राम सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राजस्थान)

—वादी

ब ना म

1. प्रभुराम पुत्र स्वर्गीय रावता जाति दरोगा निवासी ग्राम सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।
2. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा व रिकार्ड संशोधन

उपस्थिति—

1.श्री हरदेवाराम सुण्डा वादी की ओर से

निर्णय

दिनांक 06.06.216

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वादग्रस्त खाता सं. 198 खसरा नं. 206 रकबा 0.51 है0, व खसरा नम्बर 207 रकबा 0.88 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय ग्राम सुरेरा पटवार हल्का भारीजा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है उपरोक्त कृषि भूमियों में पहले वादी का पिता मदनसिंह काश्त किया करता था तथा प्रतिवादी संख्या एक का पिता रावता स्वर्गीय श्री मदनसिंह के नौकर रहता था व जमीन खेत की रखवाली व सार संभाल करता था जिसकी वजह से इस जमीन की खातेदारी भी प्रतिवादी संख्या एक के पिता रावता पुत्र बालू के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गई । बाद में रावता पुत्र बालू का स्वर्गवास हो गया जबकि पुरानी खसरा गिरदावरियों में वादी व उसके पिता का नाम स्पष्ट रूप से अंकित है । रावता के एकमात्र उत्तराधिकारी व वारिस प्रतिवादी संख्या एक ही है व अब विरासत से खातेदारी प्रतिवादी संख्या एक के नाम करवाने की प्रतिवादी संख्या एलानियां धमकिया दे रहा है । उक्त भूमि खसरा नम्बर 206 व 207 पर प्रार्थी वादी का कब्जा काश्त है तथा मौके पर काश्त कर रखी है इस भूमि को वादी अपने पिता के समय से ही उपयोग उपभोग करता आ रहा है । प्रतिवादी संख्या एक या उसके पिता का उपरोक्त भूमि से कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है मात्र खातेदारी में प्रतिवादी के नाम से रेकार्ड में दर्ज होने स`अब प्रतिवादी संख्या एक उपरोक्त कृषि भूमि से वादी को बेदखल कर भूमि पर स्वयं कब्जा करने पर आमादा है । उक्त भूमियां वादी की पैतृक कृषि भूमियां होने की वजह से प्रतिवादी संख्या 1का नाम हजफ किया जाकर वादी को पैतृक आधार पर काबिज खातेदार व काश्तकार उद्घोषित किया जावे ।
2. वाद पत्र पेश होने पर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 को जरिये डाक तलबी करवाने पर रजिस्टर्ड नोटिस वापस लौटकर प्राप्त हुआ । इस पर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये अखबार दैनिक भाष्कर से दिनांक 3 दिसम्बर 2015 को नोटिस तामील करवाया गया । किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 न तो हाजिर अदालत आया तथा

उप खण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

न ही कोई जबाब प्रस्तुत किया जिसके कारण प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार दांतारामगढ को पत्रावली पर सूचित किया गया ।

3. बहस वकील वादी सुनी गई । वकील वादी ने बहस के दौरान वाद के तथ्यों एवं को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नं. खसरा नम्बर 206 व 207 किता 2 कुल रकबा 1.39 पर वादी के पूर्वज प्रथम सेटलमेंट के समय से ही काबिज हैं वकील वादी ने खसरा गिरदावरी संवत 2031, 2032, व 2033 प्रस्तुत की जिसमें वादी का नाम दर्ज रेकार्ड है इसके अलावा रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया नोटिस भी प्रतिवादी को तामील नहीं हुआ तथा अखबार से सूचित करने पर भी प्रतिवादी संख्या 1 हाजिर नहीं आया है जिससे स्पष्ट जाहिर है कि वादग्रस्ता आराजियात से प्रतिवादी का कोई लेना देना नहीं है तथा ना ही प्रतिवादी संख्या एक ने उपरोक्त भूमियों पर कभी काश्त ही की है वादी के पक्ष में स्वयं वादी व ग्राम सुरेरा के मौजिज व्यक्तियों 1. जोरावर सिंह पुत्र हरिसिंह उम्र 84 वर्ष व बन्नाराम पुत्र नोला राम उम्र 61 वर्ष ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर उपक्त खातेदारी भूमियों पर वादी का कब्जा काश्त होने बाबत निवेदन किया है । एसे में वादी को उपरोक्त खातेदारी भूमियों का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जावें एवं तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

4. हमने योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम सुरेरा प.मंडल भारीजा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबंदी संवत् 2066–2069 खाता सं. 198 के खसरा नं. 206 रकबा 0.51 है0 एवं खसरा नं. 207 रकबा 0.88 हैक्टर किता 2 कुल रकबा 1.39 हैक्टर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 के पिता रावता पुत्र बालू के नाम दर्ज रेकार्ड है । प्रतिवादी संख्या एक ने अपने पिता के नाम दर्ज भूमि की विरासत अपने नाम दर्ज नहीं करवाई है तथा न्यायालय के नोटिस, रजिस्टर्ड नोटिस व अखबार से सूचित किए जाने के बावजूद हाजिर अदालत आकर अपना पक्ष नहीं रखा है जबकि वादी ने उपरोक्त आराजियात पर कब्जा काश्त बाबत खसरा गिरदावरी संवत 2031 – 2033 व मिलान क्षेत्रफल की प्रति प्रस्तुत की है मिलान क्षेत्रफल के अनुसार उक्त खसरा नम्बरान पुराने खसरा नम्बर 147मि. से बने हैं साथ ही ग्राम के मौजिज व्यक्तियों के शपथ प्रस्तुत प्रस्तुत किए है शपथकर्ता जोरावरसिंह उम्र 84 वर्ष व बन्नाराम उम्र 61 वर्ष ने उपरोक्त आराजियात पर वादी का पैतृक समय से कब्जा काश्त होना बताया है । अतः ग्राम सुरोरा प.मंडल भारीजा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के खसरा नं. 206 रकबा 0.51 है0 व खसरा नं. 207 रकबा 0.88 हैक्टर किता 2 कुल रकबा 1.39 हैक्टर का वादी को खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 23.11.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उप खण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner